उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

पत्रांक 41430-33 /वसूली / 17–18 दिनांकः 05.02.18

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

:अनुस्मारकः

प्र0का0 कार्यालय के पत्र सं0 41219–22/वसूली/17–18 दि0 12.01.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आप सभी को निर्देशित करते हुए अपेक्षा की गई थी कि समस्त बकायेदारों के विवरण पत्र में कुल दर्शित आर0सी0 का मिलान जनपद की राजस्व विभाग की वेवसाइट पर दर्ज आर0सी0 से मिलान तत्काल कर लें। उक्त के मिलान/अपलोड के पश्चात तत्काल मुख्यालय को सही–सही आर0सी0 की सूचना संख्या एवं धन0 व वसूली सं0 धन0 सहित अपने मण्डलीय कार्यालय के माध्यम से प्र0का0 को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चत करें।

उक्त वांछित सूचना अद्यतन किसी भी मण्डल द्वारा प्रेषित नहीं की गई है जो कि खेदजनक है। जबकि आप सभी से यह अपेक्षित था कि उक्तानुसार वांछित सूचना तत्काल मुख्यालय को प्रेषित करें।

अतएव आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि **समस्त बकायेदारों के विवरण पत्र में कुल दर्शित आर0सी0 का मिलान जनपद की राजस्व विभाग की वेवसाइट पर दर्ज आर0सी0 से मिलान तत्काल कर लें। उक्त के मिलान/अपलोड के पश्चात तत्काल मुख्यालय को सही–सही आर0सी0 की सूचना संख्या एवं धन0 व वसूली सं0 धन0 सहित अपने मण्डलीय कार्यालय के माध्यम से तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चत करें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाये। अन्यथा की दशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी।**

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलीय प्रबन्धक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक, उ0प्र0, को इस निर्देश के साथ कि दि0 12.01.18 द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अपने मण्डल की शाखाओं से सूचना प्राप्त कर संकलित कराते हुए तत्काल मुख्यालय के वसूली अनुभाग को प्रेषित करें। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाय।
2. समस्त मण्डल पर्यवेक्षक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र लखनऊ, को इस निर्देश के साथ कि दि0 12.01.18 को दिए गए निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराएं।
3. उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर)को बैंक की शााखाओं को ई0मेल0 कराने हेतु।

(आर0बी0गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वसूली)